राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक प.5(5) प्राशि/स्था. कैम्प/2018/पार्ट–2 जयपुर, दिनांक : 09.08.2018

–:: आदेश ::–

तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रबोधक, शारीरिक शिक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में जैसलमेर जिले में निम्नानुसार स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से किये जाते है :–

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदनाम/लेवल	विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन्न स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन्न स्थान				वि.वि.
							विद्यालय का नाम मय डाइस कोड	लेवल/पद /विषय	ब्लॉक	जिला	
1	श्री सुमेर सिंह	अध्यापक लेवल–1	–	11/19/2012	राप्रावि हरचंदराम बैलदार की ढाणी	जैसलमेर	राप्रावि जोगियों की ढाणी रूपसी 08160115004	अध्यापक लेवल–1	जैसलमेर	जैसलमेर	श्री गणेश सिंह के स्थान पर
2	श्री गणेश सिंह	अध्यापक लेवल–1	–	3/19/2015	राप्रावि जोगियों की ढाणी	जैसलमेर	राप्रावि हरचंदराम बैलदार की ढाणी 08160110801	अध्यापक लेवल–1	जैसलमेर	जैसलमेर	प्रशासनिक
3	कुसुम	अध्यापक लेवल–1	–	3/19/2015	राप्रावि दरबारी का गांव	जैसलमेर	राप्रावि रेल्वे कॉलोनी जैसलमेर 08160113913	अध्यापक लेवल–1	जैसलमेर	जैसलमेर	रिक्त पद पर
4	स्वर्णलता	अध्यापक लेवल–2	सामाजिक विज्ञान	9/11/2012	राप्रावि जियाई	जैसलमेर	राउप्रावि पुलिस लाईन जैसलमेर 08160113903	अध्यापक लेवल–1	जैसलमेर	जैसलमेर	श्री चुन्नीलाल के स्थान पर
5	श्री चुन्नी लाल	अध्यापक लेवल–1	–	12/30/1985	राउप्रावि पुलिस लाईन जैसलमेर	जैसलमेर	राप्रावि जियाई 08160116901	अध्यापक लेवल–1	जैसलमेर	जैसलमेर	प्रशासनिक
6	नीतू चौहान	अध्यापक लेवल–1	–	11/19/2012	राप्रावि बजीरों की ढाणी	जैसलमेर	राउप्रावि रेवंत सिंह की ढाणी 08160113928	अध्यापक लेवल–1	जैसलमेर	जैसलमेर	रिक्त पद पर
7	श्री भीम सिंह	प्रबोधक शाशि	–	10/3/2008	राउप्रावि सोंरों की ढाणी	जैसलमेर	राउप्रावि लौद्रवा 08160113401	शारिरीक शिक्षक	जैसलमेर	जैसलमेर	रिक्त पद पर
8	श्री डूंगर राम	प्रबोधक लेवल–1	–	10/1/2008	राप्रावि 8 9 एलकेएम उदयनगर	जैसलमेर	राप्रावि बैरिसाल सिंह की ढाणी 08160105811	अध्यापक लेवल–1	जैसलमेर	जैसलमेर	रिक्त पद पर
9	श्री दीलिप कुमार	अध्यापक लेवल–2	सामाजिक विज्ञान	9/11/2012	राउप्रावि बेरडों की ढाणी पं.स. शिव से राउप्रावि चौधरिया पं.स. जैसलमेर लेवल–1 के विरूद्ध स्थानान्तरणाधीन	जैसलमेर	राउप्रावि बीलिया 08160202801	अध्यापक लेवल–2 सामाजिक विज्ञान	पोकरण	जैसलमेर	रिक्त पद पर
10	अमिता जोशी	अध्यापक लेवल–1	–	9/9/2013	राप्रावि विडद सिंह की ढाणी रामदेवरा	जैसलमेर	राप्रावि महासागर कच्ची बस्ती पोकरण 08160215815	अध्यापक लेवल–1	पोकरण	जैसलमेर	श्री रामेश्वर के स्थान पर
11	श्री रामेश्वर	अध्यापक लेवल–1	–	11/6/1997	राप्रावि महासागर कच्ची बस्ती पोकरण	जैसलमेर	राप्रावि विडद सिंह की ढाणी रामदेवरा 08160202703	अध्यापक लेवल–1	पोकरण	जैसलमेर	प्रशासनिक

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1 संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नही किया जावे।

2 संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/ न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरूद्ध वाद विचाराधीन हो, तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

3 प्रबोधक तथा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे अध्यापक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम 6 डी के तहत् चयन नहीं किया गया है, उनको शहरी क्षेत्र के लिये कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

4 राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत् समायोजित अध्यापक का शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

5 शून्य नामांकन वाले विद्यालय में किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

6 कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें कि स्थानान्तरण प्रक्रिया से कोई विद्यालय (शून्य नामांकन वाले को छोडकर) शिक्षक विहीन न हो जावें।

7 शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधी सहमति का शपथ पत्र लिया जावें अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें; यदि कार्मिक शपथ पत्र देने से इंकार करे तो कार्मिक से इस बाबत लिखित में लिया जावे ।

8 गैर प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31–12–2012 के पश्चात की हो तो, उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

9 प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31–12–2008 के पश्चात की हो तो उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

10 टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

11 लेवल प्रथम के अध्यापक को लेवल द्वितीय के पद हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

12 लेवल द्वितीय गणित–विज्ञान एवं अग्रेजी के शिक्षक को उसके समान पद एवं विषय के लिये ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

13 लेवल–2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में लेवल प्रथम के पद पर लेवल–2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी के कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जा सकता है।

14 संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण गैर प्रतिबन्धित / प्रतिबन्धित से प्रतिबन्धित जिले में हो रहा हो, तो उनका केवल परिवीक्षाकाल पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाकर, उनकों कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

15 प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाला कार्मिक निर्धारित गंभीर रोगो से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन हो तो उन्हे कार्यमुक्त न किया जावें एवं उनके विरूद्व आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाकर उन्हे पुनः मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावें।

16 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / पीईईओ स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित होने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त करे एवं कार्मिक दिनांक 20.08.2018 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करे अन्यथा दोषी अधिकारी / कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 21.08.2018 को अपने जिले के ऐसे प्रकरणों की सूचना मय सूची निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित करें।

17 पीईईओं द्वारा आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संबंधित बीईईओ इसकी सूचना जिशिअ प्राशि को देंगे तथा जिशिअ अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव बना कर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करेंगे।

18 स्थानान्तरित कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों का शालादर्शन पोर्टल से सत्यापन पश्चात पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

19 स्थानांतरण प्रक्रिया में इस विभाग द्वारा स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 21.04.16, 24.06.16 एवं 06.07.16 से जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे ।

20 प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा कमांक प. 5(1)प्रसु / सम / अनु–1 / 2008 पार्ट दिनांक 31.07.2018 के अनुसार फोटो युक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुडे कार्मिकों को दिनांक 27.09.2018 के पश्चात ही कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करावें।

21 प्रशासनिक स्थानान्तरण पर क्रम संख्या 2, 5 एवं 11 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री (प्रारम्भिक शिक्षा–स्वतन्त्र प्रभार) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
2 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
5 आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
7 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की पालना सम्बन्धिम पीईईओ के माध्यम से कराने का श्रम करावें।
8 शालादर्शन प्रकोष्ठ जयपुर को पोर्टल पर मॉड्यूल द्वारा मैपिंग किये जाने हेतु प्रेषित है (पत्र क्रमांक : प.5(5)प्रा.शिक्षा / 2018 जयपुर दिनांक 22.06.18 के विन्दु सं. 6 के क्रम में)
9 उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त।
10 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को पालना हेतु ।
11 संबंधित पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को पालना हेतु ।
12 रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव